



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4526

इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44956 वर्ष 2025 सतीश
.....आवेदक बनाम उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अली हसन, राम मूर्ति यादव विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री अली हसन, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का भी परीक्षण किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 88 वर्ष 2025, धारा 103(1) बीएनएस, थाना - साध, जिला - कानपुर देहात, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में उसे असत्य रूप से फँसाया गया है। प्राथमिकी में आरोपित अपराध से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह प्राथमिकी में नामित नहीं है। उसका नाम सह-अभियुक्त के संस्वीकृति कथन में, वह भी पुलिस के समक्ष, आया है जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि आवेदक दिनांक 18.05.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसके नाम पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि मृतक व्यक्ति की पत्नी, जो आवेदक की चाची होती है, के साथ आवेदक का अनुचित सम्बन्ध था तथा वह उससे नियमित रूप से बातें करता था, अतः वह जमानत का अधिकारी नहीं है। तथापि, वे इस तथ्य को विवादित नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, अपराध की प्रकृति, दण्ड की गम्भीरता तथा यह भी कि आवेदक सह-अभियुक्त व्यक्ति का भतीजा है और उनके बीच आपस में बातें होना स्वाभाविक था, के आधार पर विचार करने पर, प्रथम दृष्ट्या मुझे यह प्रकरण आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य प्रतीत होता है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक - सतीश, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये। i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) जनवरी 8, 2026 सिद्धान्त

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"